न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 222/2020

1. सरजीत पुत्र दलबीर जाति मेघवाल निवासी मेहरिया त0 भादरा।

:— **वादी**

ब ना म

1. दलबीर पुत्र भोमाराम जाति मेघवाल निवासी मेहरिया त0 भादरा।
2. संदीप कुमार पुत्र दलवीर जाति मेघवाल निवासी मेहरिया त0 भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सुनील बैनीवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री विजेन्द्रसिंह बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा शेरडा के खाता सं0 271/268 के खसरा सं0 77 की 3.680है0, खसरा सं0 90 की 3.452है0, खसरा सं0 92 की 1.193है0 कुल 8.325है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 दलवीर के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं 1 सरजीत व प्रतिवादी सं0 1 दलवीर व प्रतिवादी सं0 2 संदीप कुमार को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:09:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 222/2020

1. सरजीत पुत्र दलबीर जाति मेघवाल निवासी मेहरिया त0 भादरा।

:- वादी

ब ना म

1. दलबीर पुत्र भोमाराम जाति मेघवाल निवासी मेहरिया त0 भादरा।
2. संदीप कुमार पुत्र दलबीर जाति मेघवाल निवासी मेहरिया त0 भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री सुनील बैनीवाल : वादी
वकील श्री विजेन्द्रसिंह बैनीवाल : प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 29.01.2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा शेरडा के खाता सं0 271/268 के खसरा सं0 77 की 3.680है0, खसरा सं0 90 की 3.452है0, खसरा सं0 92 की 1.193है0 कुल 8.325है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 दलबीर के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता भोमाराम की खातेदारी हुआ करती थी। भोमाराम से विरासतन उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 दलबीर ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 2 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। व प्रतिवादी सं 3 स्टेट की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः साक्ष्य वादी में ...

साक्ष्य वादी में पी... ...जाति मेघवाल निवासी मेहरिया त0 भादरा के बयान करवाये गये ... ...जमाबंदी ग्राम शेरडा खाता सं0 271/268 प्रदर्श 1 ... प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत शेरडा प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:09:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

Scanned with CamScanner

में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम शेरडा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 2 में वारिसप्रमाण पत्र में दलबीर के दो पुत्र सरजीत व सदीप कुमार के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वाद भूमि रोही मौजा शेरडा के खाता सं0 271/268 के खसरा सं0 77 की 3.680है0, खसरा सं0 90 की 3.452है0, खसरा सं0 92 की 1.193है0 कुल 8.325है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 दलबीर के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा शेरडा के खाता सं0 271/268 के खसरा सं0 77 की 3.680है0, खसरा सं0 90 की 3.452है0, खसरा सं0 92 की 1.193है0 कुल 8.325है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 दलबीर के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं 1 सरजीत व प्रतिवादी सं0 1 दलबीर व प्रतिवादी सं0 2 संदीप कुमार को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:09:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner